न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 124/2014

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. रेशमसिंह पुत्र निहालसिंह साकिन 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर। (मृतक)
   - 1.1 हरविन्द्रसिंह पुत्र स्व. रेशमसिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ. बड़ा पोस्ट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.2 गुरप्रीत कौर पत्नी जितेन्द्र सिंह पुत्री रेशमसिंह जाति जटसिख निवासी दशमेशनगर नजदीक आनन्द पैलेस फिरोजपुर केन्ट (पंजाब)
   - 1.3 सर्वजीत कौर पत्नी बलजिन्द्रसिंह पुत्री रेशमसिंह निवासी गांव व डाकखाना भाईरूपाफूल जिला भठिण्डा (पंजाब)
   - 1.4 सुखदेव कौर पत्नी रेशमसिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. परौकार राज	वादी
2. श्री चरणदास अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.4

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 01.06.2017

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी रेशमसिंह पुत्र निहालसिंह साकिन 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के नाम चक 10 एफ. बड़ा के मुरब्बा नम्बर 41 व 50 की कुल 2.024 हैक्टर रकबा खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त खातेदारी भूमि में मुरब्बा नम्बर नम्बर 41 के किला नम्बर 23 में 0.0028 हैक्टर रकबे पर अप्रार्थी द्वारा अवैध निर्माण कर मोबाईल टावर के लिये उपयोग किया जा रहा है।

उक्त आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

अतः उक्त भूमि चक 10 एफ बड़ा में कुल रकबा 0.028 हैक्टर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मिर्जेवाला अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये मोबाईल टावर (अकृषि कार्य) के उपयोग में लिया जा रहा है।

वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एंव जमाबन्दी की प्रति सलंग्न की है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। विधिवत तामिल नहीं होनें के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित नहीं आनें पर पत्रावली में सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाकर निर्णय दिनांक 11.03.2013 के द्वारा वाद में वर्णित भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत अधिग्रहण कर बहक सरकार घोषित किया गया।

न्यायालय के निर्णय से प्रतिवादीगण व्यथित होनें पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कियें जानें पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कि निर्णय दिनांक 23.09.2014 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 11.03.2013 को अपास्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रकरण को रिमाण्ड किया गया कि अपीलार्थीगण को सम्परिवर्तन आदेश प्रस्तुत करनें के लिये समय दिया जावे निर्धारित अवधी में सम्परिवर्तन आदेश प्रस्तुत नहीं करनें पर प्रकरण में पुनः विधि सम्वत् निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण रिमाण्ड होनें पर दिनांक 22.10.2014 को पुनः दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्परिवर्तन आदेश पेश करनें हेतु आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया गया ना ही कोई सम्परिवर्तन आदेश पेश किया।

पैरोकार राज तथा वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रतिवादीगण द्वारा वाद में वर्णित भूमि के रूपान्तरण सम्बंधी कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये जानें पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 10 एफ. बड़ा के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 23 में 0.0028 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 01.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में मजमे आम सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी सह
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर